उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी

यूपीडा

सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592, फैक्सः 0522–4013560, इमेल.upeida2@gmail.com

पत्रांक 914 /1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 22 फरवरी, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उन्नाव वन प्रभाग,
उन्नाव।

विषयः–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आराक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षें के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–2380/11–सी–FP/UP/Road/144793/2021 दिनांक 11.02.2022 एवं भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/643 दिनांक 17.01.2022।

महोदया,

उपरोक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के पत्र दिनांक 11.02.2022 के द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार सूचना/अभिलेख निम्न प्रकार आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0सं0	कमियों/अभिलेखों का आभाव	कार्यवाही की स्थिति
1.	भारत सरकार की आपत्ति सं0–01 का पूर्ण निराकरण नहीं किया गया है।	पार्ट–2 से सम्बन्धित इस बिन्दु का उत्तर प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव (नोडल अधिकारी) के स्तर से वांछित है। वैसे यूपीडा के द्वारा पार्ट–2 में बिन्दु–2 का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार संरक्षित वन का कुल क्षेत्रफल 30.8224 हे0 ही आ रहा है, जो कि प्रस्ताव में दर्शित क्षेत्रफल के समान है। अतः कोई विसंगति नहीं है।
2.	भारत सरकार की आपत्ति सं0–04 के निराकरण के क्रम में रेलवे विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है केवल वचनबद्धता ही दी गयी है, जोकि पर्याप्त नहीं है। अतः रेलवे विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।	अवगत कराना है कि यह एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई लेवेल क्रॉसिंग नहीं है, अतः रेलवे विभाग की एन0ओ0सी0 की आवश्यकता नहीं है। कुल 7 स्थानों पर आर0ओ0बी0 निर्माण होगा, जिसपर संयुक्त निरीक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा Feasibility Report रेलवे को भेजी जा चुकी है, जो प्रक्रियाधीन है। GAD का अनुमोदन रेलवे

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

		से प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा, प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
3.	भारत सरकार की आपत्ति सं0–06 के निराकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–2352/11–सी–FP/UP/Road/144793/2021 दिनांक 10.02.2022 के अनुसार कार्यवाही करें।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के पत्र दिनांक 10.02.2022 के साथ संलग्न भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/727 दिनांक 09.02.2022 में यूपीडा के स्वामित्व वाली भूमि पर मार्ग वृक्षारोपण Technically sound एजेंसी के द्वारा कराये जाने के सुझाव दिये गये हैं, जिसकी छाया प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। भारत सरकार के उपरोक्त सुझाव के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी (यूपीडा) के द्वारा मार्ग वृक्षारोपण को आई0आर0सी0 गाईडलाईन, हरित राज्य मार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यीकरण एवं अनुरक्षण) नीति 2015 एवं एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुरूप किसी Technically sound एजेंसी के माध्यम से कराये जाने की वचन बद्धता दी जा रही है, जिसको परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। प्लान्टेशन स्कीम को प्रयोक्ता एजेन्सी (यूपीडा) के द्वारा पूर्व में ही पार्ट–1 में अपलोड किया जा चुका है।
4.	भारत सरकार की आपत्ति सं0–08 के निराकरण के क्रम में दुगने अवनत वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित नहीं किया गया है। अतः प्रेषित करें।	इस बिन्दु का उत्तर प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव के स्तर से वांछित है।
5.	भारत सरकार की आपत्ति सं0–13 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। अतः उस प्रमाण पत्र का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल (गैर वनभूमि एवं अवनत वनभूमि) वृक्षारोपण के लिए पर्याप्त है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करे। यदि वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल पर्याप्त नहीं है तो उस दशा में अतिरिक्त अवनत वनभूमि का चयन कराते हुए इससे सम्बन्धित प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet, kml file सीडी सहितएवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करें।	इस बिन्दु का उत्तर प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव के स्तर से वांछित है।
6.	भारत सरकार की आपत्ति सं0–14 के निराकरण के क्रम में संलग्न किये गये Geo Referenced Digital Map पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव के स्तर से इस बिन्दु का निस्तारण वांछित है। उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार की मौखिक सहमति के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव से हस्ताक्षर करने हेतु यूपीडा की तरफ से प्रेषित अनुरोध पत्र को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

7.	भारत सरकार की आपत्ति सं0–16 के निराकरण के क्रम में संलग्न किये गये Geo Referenced cadastral Map पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव के स्तर से इस बिन्दु का निस्तारण वांछित है। उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार की मौखिक सहमति के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव से हस्ताक्षर करने हेतु यूपीडा की तरफ से प्रेषित अनुरोध पत्र को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
8.	भारत सरकार की आपत्ति सं0–18 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संलग्न किया गया Comoponent wise Breacup में कुल क्षेत्रफल 215.41 हे0 दर्शाया गया है, जिसमें कितनी वन भूमि एवं कितनी गैर वनभूमि फीड कर संशोधित ऑनलाईन पार्ट–1 संलग्न करें।	Comoponent wise Breacup में कुल क्षेत्रफल 215.41 हे0, जिसमें 17.73082 हे0 वन भूमि एवं 197.67918 हे0 गैर वन भूमि आच्छादित है। संशोधित सूचना परिवेश पोर्टल के ऑनलाईन पार्ट–1 में अपलोड की जा रही है।
9.	उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्तियों का समेकित बिन्दुवार निराकरण (पूर्ण संलग्नकों सहित) आपके द्वारा प्रेषित नहीं किया है।	इस बिन्दु का उत्तर प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव के स्तर से वांछित है।

संलग्नकः–सूचना/अभिलेखों की 5 पत्रावलियां।

भवदीय

(अरूण कुमार राय)
अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ